

ग्राम सभा द्वारा भूमि दी जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा दिनांक 29-7-17 को आम सहमति से निर्णय दिया गया है कि आवेदित वन भूमि जो कि प्रयोक्ता ऐजेन्सीज को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है एवं वन अधिनियम अधिनियम-2006 के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं पारस्परिक वनवासी/आदिवासी का कोई निवास स्थल नहीं है, जिसके कारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी को दी जाने वाली भूमि में परम्परागत किसी भी आदिवासी/अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का कोई हनन/प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये सर्व सम्पत्ति से निर्णय लिया जा रहा है कि प्रस्तावित आवेदित वन भूमि सोरना (डोबरी) वालो को दी जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ सदस्यों की उपस्थिति प्रतिलिपि-

हस्ताक्षर,
ग्रामवासी।

ग्राम सभा,
प्रधान।

Indra
(INDRA NEGI)

(I.S. Negi)

Indra Singh

लक्ष्मी सिंह

Ajay Lal Singh

(अंजित)

अतुल

रुद्र

